<u>न्यायालयः—माखनलाल झोड़, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रुंखाला न्यायालय—बैहर</u>

C.R.A./04/2017 F.No. CRA/41/2017 CNR NO- MP5005-000136-2017 संस्थित दिनांक — 05.1**2.**2016

- 1. रामप्रसाद पिता झाडूलाल राणा, उम्र 29 वर्ष
- 2. योगेश उर्फ बबलू राणा, पिता झाडूलाल उम्र 27 वर्ष
- 3. शिवप्रसाद पिता झाडूलाल राणा, उम्र 24 वर्ष
- गंगाधर पिता दामाजी तुरकर, उम्र 45 वर्ष,
 सभी निवासी ग्राम भीड़ी, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट

- <mark>अपीलार्थी गण / अभियुक्तगण</mark>

/ / <u>विरुद्ध</u>्ये /

न0प्र0 शासन द्वार जेला बालाघाट	:-आरक्षा कन्द्र-प्रस्तवाड़ा अभियोगी / <u>उत्तरवादीगण</u>
======	=====================================
	े श्रेणी बेहर द्वारा आप.प्रक.क्र.—921 / 2013 में पारित निर्णय क 29.09.2016 से परिवेदित होकर धारा 374 दं.प्र.सं. के

श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते उत्तरवादी / राज्य।

-/// <u>निर्णय</u> ///— (<u>आज दिनांक 11 नवम्बर 2017 को घोषित</u>)

- 1. अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 921 / 2013 शासन बनाम रामप्रसाद+3, में पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 29.09.2016 से परिवेदित होकर पेश की गई है।
- 2. अभियोजन मामले का सार यह है कि सुरेन्द्र (अ.सा.1), कैलाश (अ.सा.2), मूलचंद (अ.सा.5), विजेन्द्रसिंह उईके (अ.सा.6) अभियुक्त को पहचानते हैं।

- 3. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 13.10.2013 को रात्रि 09:00 बजे ग्राम भीड़ी में मूलचंद के होटल के सामने अंतर्गत थाना परसवाड़ा में अभियुक्त रामप्रसाद, शिव राणा, योगेश उर्फ बबलू राणा, गंगाधर तुरकर ने प्रार्थी सुरेन्द्र की मारपीट की जिससे उसकी पीठ में दोनों हाथों में, भुजा पर चोट आई, मौके पर उपस्थित रमेश व अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। चारों लोगों ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी थी।
- 4. उक्त आशय की रिपोर्ट आहत द्वारा थाना परसवाड़ा में दिनांक 14.10.2013 को लेख कराई जाने से 294, 323, 506 भा0द0वि0 के अधीन अपराध कमांक 66/13 दर्ज कर आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया, साक्षी के कथन लेख किये जाने का पंचनामा अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।
- 5. प्रस्तुत अपील का सार यह है कि अभिलेख पर आई साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया है, लकड़ी से मारपीट किये जाने का आरोप है, किन्तु डाक्टरी मुलाहिजा में और चिकित्सक के बयान के तत्संबंध में साक्ष्य में लकड़ी से चोट आने के आकार बाबत पुष्टि नहीं है। आहत व्यक्ति शराब पीकर गिर जाने से उसके शरीर पर चोट आई थी जो मूलचंद (अ.सा.5) ने स्वीकार किया है। उपलब्ध साक्ष्य और तथ्य को नजरंदाज कर निर्णय पारित किया गया है, अपील परिसीमा में पेश की है। निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 29.09.2016 का अपास्त कर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की है।

अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र. क.921/13, शासन विरूद्ध रामप्रसाद+3, निर्णय दिनांक 29. 09.2016 को अपीलार्थी के विरूद्ध पारित निर्णय में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य हैं ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

- 6. सुरेन्द्र (अ.सा.1) ने साक्ष्य दी है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना 06—07 माह पहले रात्रि 08:00—09:00 बजे की मूलचंद की दुकान के सामने ग्राम भीड़ी की है। साक्षी परसबाड़ा से ग्राम भीड़ी वापिस आकर मूलचंद की दुकान के सामने पहुंचा तब उसने रामप्रसाद को मंदिर में क्या हुआ पूछा था तब आरोपी रामप्रसाद ने कहा कि नीच चमारों से बात नहीं करना है साक्षी ने ऐसा बोलने पर मना किया तो रामप्रसाद ने कालर पकड़कर हाथ से मारा। लोगों ने बीच बचाव किया, रामप्रसाद वहां से चला गया।
- 7. इसी साक्षी ने पद कमांक 2 में साक्ष्य दी है कि आरोपी रामप्रसाद उसके साथ ही गंगाधर, शिवप्रसाद, बबलू को साथ लेकर उक्त दुकान के सामने आया और लठ से मारने लगा जान से मारने की धमकी दी साक्षी बेहोश

हो गया। उसने थाना परसबाड़ा में प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट की थी जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का इलाज शासकीय अस्पताल में हुआ था, पुलिस ने साक्षी के समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी 2 का बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर कथन लिये थे। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 4 में साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि रिपोर्ट लिखाते समय आरोपीगण के अलावा दूसरे लोगों के नाम भी बताये थे लेकिन पुलिस ने केवल आरोपीगण के खिलाफ ही रिपोर्ट लिखी है। यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण के अलावा गांव के अन्य लोगों ने मिलकर साक्षी के साथ मारपीट की थी।

- 8. मूलचंद (अ.सा.5) ने साक्ष्य दी है कि वह आरोपीगण और प्रार्थी को जानता है घटना दो वर्ष रात्रि 09.00 बजे ग्राम भीड़ी की है साक्षी अपनी दुकान पर था। साक्षी की दुकान के सामने सुरेन्द्र खड़ा था तभी आरोपीगण आये थे डंडे से मारपीट करने लगे जिससे सुरेन्द्र बेहोश हो गया था। सुरेन्द्र को आरोपीगण घसीटते हुए मंदिर के पास ले गये थे तब साक्षी रमेश और कैलाश ने जाकर बीच बचाव किया था। पुलिस ने बयान लिये थे सूचक प्रश्न के उत्तर में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 13.10.2013 की रात्रि 09.00 बजे की है। यह भी स्वीकार किया है कि रामप्रसाद राणा बांस की लाठी लेकर आया था और सुरेन्द्र को मारने लगा था। बचाव में दिये गये सुझाव को साक्षी ने इंकार किया है।
- 9. कैलाश (अ.सा.2) तथा रमेश (अ.सा.3) की मुख्य साक्ष्य में कोई कथन घटना बाबत नहीं है सूचक प्रश्न के उत्तर में भी कोई साक्ष्य नहीं है। साक्षीगण ने प्रदर्श पी 3 और प्रदर्श पी 4 का कथन पुलिस को देना इंकार किया है।
- 10. डॉ हरीश मसराम (अ.सा.4) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 15.10. 2013 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसबाड़ा में चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना परसबाड़ा के आरक्षक कमांक 1020द्वारा आहत सुरेन्द्र चौरे उम्र 27 वर्ष निवासी भीड़ी को साक्षी के समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण करने पर उसके दाहिने हाथ के कंधे, पीठ, पीठ के मध्य भाग, पीठ के निचले भाग, पीठ के नीचे, दाहिने तरफ बांये कंधे के जोड़ पर, बांये कंधे के नीचे, बांयी भुजा, बांयी कोहनी पर ,बांयी कोहनी के नीचे, बांये हाथ के अंगूठे के पास, दाहिनी हाथ की कोहनी के जोड़ पर, दोनों जांघ के निचले भाग पर कुल 17 कन्ट्यूजन इंज्यूरी पाई गई थी जिनमें चोट कमांक 1 से 16 कड़ी व बोथरी वस्तु से आ सकती थी। तथा चोट कमांक 16 कड़ी व खुरदुरी वस्तु से आ सकती थी। तथा चोट कमांक 16 कड़ी व खुरदुरी वस्तु से आ सकती है। सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। सभी चोटें परीक्षण पूर्व 24 घंटे से 36 घंटे के बीच की हैं परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 है

जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पुलिस ने अपने प्रतिवेदन में आहत के मुंह से शराब की गंध आना लिखा है। प्रतिपरीक्षण में यह भी इंकार किया है कि आहत का मुलाहिजा चोट आने के 48 घंटे के बाद किया था।

- 11. विजेन्द्र सिंह उईके (अ.सा.६) आरक्षक तथा रवन सिंह उईके (अ.सा.८) के कथनों को लेख किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- 12. उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया।
- 13. विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2016 में पारित दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार उचित लेख किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- 14. पारित दंड के संबंध में अंतिम तर्क पर निवेदन किया गया है कि दण्डाज्ञा अधिक है नर्म रूख अपनाकर केवल अर्थदंड से दंडित किया जावे पर विचार किया गया। आहत पर कुल 17 क्षतियां हैं जिनमें से अपीलार्थीगण ने कितनी कारित की स्पष्ट नहीं है और जिन व्यक्तियों ने उपहतियां कारित की उनका विचारण नहीं हुआ है। समग्र परिस्थितियों को विचारण के पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को दी गई कारावासीय दंडाज्ञा अपास्त की जाती है तथा अर्थदंड की दंडाज्ञा की पुष्टि की जाती है।
- 15. उक्तानुसार अपील दंड की सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की गई।
- 16. प्रकरण में जप्तशुदा बांस की लाठी मूल्यहीन होने से नष्ट की जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कंडिका क्रमांक 23 की पुष्टि की जाती है।
- 17. निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर परिणाम दर्ज करने हेतु भेजा जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

> सही / – (माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

Shivam Steno

मेरे डिक्टेशन पर टंकित किया गया।

सहा / — (माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर